

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ./ 161 /2021 दिनांक: 05 .10.2021

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ./110/2021 दिनांक 20.07.2021 के द्वारा श्रीमती पूर्णिमा गौड़ (RJ0420), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-03, जोधपुर महानगर को दिनांक 20.08.2021 से 18.09.2021 तक 30 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 19.09.2021 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, जिसमें से दिनांक 20.08.2021 से 23.08.2021 तक 04 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:- स्था.बी.2 (4)/52/2002/ 6202

दिनांक : 05 .10.2021

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर को उनके पत्रांक 5013/5739 दिनांक 18.08.2021/23.09.2021 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती पूर्णिमा गौड़ (RJ0420), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-03, जोधपुर महानगर ।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-03, जोधपुर महानगर ।
5. डॉ. मनोज जोशी (RJ0551), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-04, जोधपुर महानगर ।
6. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-04, जोधपुर महानगर ।
7. संबंधित कोषालय ।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर ।

सहायक रजिस्ट्रार